अवर सचिव
UNDER SECRETARY

सत्यमेव जयते

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-22/04/2013 (P)

22 अप्रैल 2013

श्रीयुत अध्यक्ष,
दिल्ली परिवहन निगम,
इन्द्रप्रस्थ डिपो
आई.पी. इस्टेट
दिल्ली

प्रिय महोदय,

महामहिम उपराष्ट्रपति जी को प्रेषित श्री कन्हैया साह पुत्र श्री राजगृही साह, श्री हनुमान होम्योपैथिक क्लीनिक डुंडाहेड़ा पो. डुंडाहेड़ा जिला गुड़गांव हरियाणा का दिनांक 19 अप्रैल 2013 का बस से चोरी हुआ सामान वापस दिलावाने संबंधी प्रार्थना पत्र विचार हेतु आपको अग्रसारित किया जा रहा है।

सधन्यवाद

भवदीय,

(महिताब सिंह)

प्रति सूचनार्थ -
श्री कन्हैया साह श्री हनुमान होम्योपैथिक क्लीनिक डुंडाहेड़ा पो. डुंडाहेड़ा जिला गुड़गांव हरियाणा
कृपया पत्र के संदर्भ में श्रीयुत अध्यक्ष, दिल्ली परिवहन निगम , इन्द्रप्रस्थ डिपो, आई.पी. इस्टेट दिल्ली के क़ार्यालय से सम्पर्क करें।

(महिताब सिंह)

आर टी आई स्पीड पोस्ट
अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

सत्यमेव जयते

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/7/2013-14 — 6 मई, 2013

सेवा में,
श्रीमती रेनू पोपली
सीनियर मैनेजर /पी.आई.ओ. (हेडक्वार्टर)
डी टी सी बंदा बहादुर मार्ग काम्पलेक्स,
मुखर्जी नगर
नई दिल्ली-110009

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

श्री कन्हैया साह श्री हनुमान होम्योपैथिक क्लीनिक डुंडाहेडा पो. डुंडाहेडा जिला गुड़गांव हरियाणा का दिनांक 23 अप्रैल 2013 का पत्र दिनांक 25 अप्रैल 2013 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने दस रूपये का पो.आ. संख्या 11F 034905 संलग्न कर अपने आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जानकारी चाही है जोकि सीएमडी दिल्ली परिवहन को अग्रसारित किया गया था। अतः इनका अवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हंस्तातरित किया जा रहा है। कृपया आवेदन पर उचित कार्यवाही कर कृत कार्यवाही की सूचना आवेदक तथा अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद, — भवदीय,

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-
श्री कन्हैया साह श्री हनुमान होम्योपैथिक क्लीनिक डुंडाहेडा पो. डुंडाहेडा जिला गुड़गांव हरियाणा -कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त सी पी आई ओ से संपर्क करें।

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

O/C

6/5/13

दिनांक 23-4-2013

सेवा में,

श्रीमान माननीय उपराष्ट्रपति महोदय,

मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली 110011

Vice President's Secretariat
Dy. No. 97
Date 25/4/13
New Delhi

रिमाइन्डर

[दिनांक 12-4-2013 को मैं डायरेक्ट पत्र दिया]

RTI No. 11F 034905 Indian postal order
10 Ten Rupees

विषय : वाहक और संवाहक चोर गिरोह/ जेबकतरे की मिली भगत से सोने की जेवर चोरी होने की शिकायत बैच नम्बर सी.सी.–369 बस नम्बर डी.एल.–1पी.सी.–3216 लाल रंग एयर कन्डिशनर वाली बस, डी.टी.सी. बस, दिनांक 20.08.2012 समय 11.30 बजे लगभग सुबह रूट नम्बर 729 एफ.आई.आर. नम्बर 169 दिनांक 09.10.2012 पुलिस थाना कापसहेड़ा, नई दिल्ली – 110037 को नाम दर्ज है।

माननीय महोदय,

निवेदन यह है कि मैं प्रार्थी डा0 कन्हैया साह पुत्र श्री राजगृही, साह निवासी ए.–47, धर्म कालोनी, पार्ट–2, पोस्ट कार्टरपुरी, थाना पालम विहार, जिला – गुड़गांव, हरियाणा – 122017 एवं अन्य पता – श्री हनुमान होम्योपैथिक क्लिनिक, मकान नम्बर 1376, गांव डुण्डाहेड़ा पोस्ट – डुण्डाहेडा, जिला गुड़गांव का मैं निवासी हूं।

वाली वस डी.एल. आई.पी. 3216 ड्राईवर और कन्डेक्टर एवं चोर गिरोह, जेब कतरे को वहां पर चढ़ाकर छिनवाने में मदद करवाते है और ये ड्राईवर और कन्डैक्टर इन चोर गिरोह से अपना कनिश्न भी खाते हैं।

यह कि जब हम लोग उपरोक्त बस में सफर कर रहे थे तो ए.सी. खराब है कहकर दोनों दरवाजे खुले रखे हुए थे जब हमने दरवाजे बन्द करने को कहा तो उल्टा हमें ही बोला कि ये बस मेरी है और मैं जैसा चाहूंगा बैसा ही करूंगा तुम्हे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। उल्टे, हमें ही धमकाने लगे और खुले दरवाजे होने की वजह से चोर गिरोह बिना किसी स्टैण्ड के होने के बावजूद आसानी से बस में आ गया और सोने के जेवर चोरी करके बिना किसी स्टैण्ड के ही निचे उतर कर चला गया।

जब तक चोर गिरोह ने मेरा सारा सोने के जेवर चुराया तब तक कोई पंखा या ए.सी. नहीं चला और बिना किसी स्टैण्ड के ही चोर गिरोह मेरा सारा सामान चुरा कर उतर गया वो जगह उन चोरों का अडडा है।

आप से हमें यह निवेदन है कि जब भी में आपके पास आर.टी.आई. लगाये है जब तक आप गलत रिर्पोट भेजते है। मैनेजर क्षेत्रिय प्रबन्धक जी के पास जब मैं अपना शिकायत पत्र लेकर जाता हूं तो बोलते है कि आपका जो गहने चोरी हुआ है तो आप कन्डेक्टर एवं ड्राईवर को हम कुछ भी साबित नहीं करते आप जहां कहीं भी चले जाओं। आपके पास कुछ भी सबुत नहीं है। आप मेरे पास आओगें तो मेरे पास मत आना कन्डेक्टर तुमको मार देगा।

जब आपके कन्डेक्टर ड्राईवर से पूछताछ दिनांक 27.12.2012 को 11.00 बजे आपके मैनेजर साहब पुछ रहे थे तो कन्डेक्टर ने बोला कि आपका सारा जवाब गलत है। आप कहीं भी चले जाओ या मेरा मैनेजर साहब के पास चल जाओ मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सर आप जो मेरा पुछताछ दिनांक 27.12.2012 को हुआ है या मेरा एपलिकेशन पर जो साईन करा रखे है या जो छह पन्ने का जो आप एपलिकेशन लिखे है उस एपलिकेशन का आर.टी.आई. करके मेरे को फोटो कापी देने की कृपा करे जो मैं हाई कोर्ट में पेश कर सकूं।

दिल्ली परिवहन निगम राजघाट डिपो, दिल्ली संख्या रा0घा0डि0 – सप्रया/शिकायत–04/2012/3672 दिनांक 14.12.2012 एवं मेरे पास जितने मंत्री का लेटर आया है उसका रिकार्ड के अधिकार के अनुसार सारे लेटर का जहां–जहां का है, वहां–वहां लेटर का जवाब देने की कृपा करे।

अतः साहब से प्रार्थना है कि मेरे केस की सुनवाई की जाए इन पर कार्यवाही भी की जाए तथा मेरा चोरी किया गया सारा सामान मुझे वापिस दिलाया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं हाई कोर्ट में एपलिकेशन लगाने एवं सारे शिकायतों का शिकायत हाईकोर्ट में पेश करूंगा।

1. संवाहक का नाम	:	श्री योगेन्द्र कुमार
बैच नम्बर	:	सी.सी. 369
टिकट नम्बर	:	91061,91062, 91063, 91064
बस नम्बर	:	डी.एल.–1पी.सी.–3216
दिनांक	:	20.08.2012
समय	:	सुबह 11.30 बजे लगभग

बस रूट नम्बर 729 कापसहेडा से नई दिल्ली पता : के–8, गली नम्बर 3, कौशिक रोड़ नम्बर 2, स्वरूप नगर, दिल्ली – 110042।

परिवहन मंत्री जी मेरे पास सारा सबुत है :–

1. टिकट मेरे पास है।

2. एफ.आई.आर. नम्बर 169 काप्सहेडा थाने का मेरे पास कॉपी है।

3. बस और कन्डेक्टर का फोटो मेरे पास है।

4. द्वारिका कोर्ट से मैडम रूचिका सिंगला जी, रूम नम्बर 212 का रिर्पोट मेरे पास है।

5. मेरे पास सारे जितने भी मुख्य पत्र आए सारे पत्र का सबुत मेरे पास है।

6. मेरे पास हम पांच गवाह है :– 1. कन्हैया साह, उम्र 42 वर्ष, 2. प्रमोद साह, उम्र 19 वर्ष, 3. ज्ञान्ती कुमारी, उम्र 22 वर्ष, 4. विनोद साह (दामाद कन्हैया साह), उम्र 24 वर्ष, 5. रिसता कुमारी (नातिन कन्हैया साह) हम पांच गवाह है।

7. हम लोग दिनांक 20.08.2012 से लेकर आज तक मेरे पास सारे पुलिस, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, राज्यमंत्री, सोनिया जी, कांग्रेस कमेटी, जन–शिकायत, उप–राष्ट्रपति, राष्ट्रपति मंत्री जी का मेरे पास पत्र आया हुआ है जो मेरे पास सबुत और गवाह है। अजय माखन जी, गृह मंत्री, क्रमिक मंत्री, चितिरम्बन राज्य मंत्री जी का, में जहां–जहां पत्र भेजे है व सब मेरे गवाह है।

8. मैं इन चोर गिरोह को पहचानता हूं और कन्डैक्टर और ड्राईवर को भी काफी अच्छे से पहचानता हूं और पांचों गवाह भी इन सब को पहचानते हैं।

रिमान्डर :–

1. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यालय) अर्चना डालमियां प्रभारी जी, 24, अकबर रोड, नई दिल्ली–110011 दिनांक 29.01.2013 संदर्भ – क्रां0अ0का0 / वी0आई0पी0 / ज0सम0 / 7643 / 29.01.2013 ।

2. कार्यालय परिवहन, विधि, न्याय एवं विधान संबंधि तमामले व चुनाव मंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, कमरा नम्बर – ए–722, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002 संख्या : सचि. / प.वि.चु.मं / 2013 / 115 दिनांक 03.01.2013 ।

3. प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली–110011 दिनांक 23.01.2013 संख्या आरटीआई / 212 / 2013–पीएमआर ।

4. आरटीआई / 212 / 2013–पीएमआर, प्रधानमंत्री कार्यालय, जनता–4, अनुभाग ।

5. सहायक निजी सचिव, वित राज्य मंत्री (व्यय एवं वित्तीय सेवाएं), भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110001 दिनांक 07.02.2013 ।

6. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली–110101 संख्या : 3 / 3 / 2013–पी.एम.पी4 / 11405 दिनांक 07.01. 2013 ।

7. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली–110101 संख्या : 3/3/2013–पी.एम.पी4/11405 दिनांक 07.01. 2013।

8. आरटीआई स्पीड पोस्ट, उप–राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली–110011 फाईल संख्या बीपीएस–55/01–आरटीआई/54/2013–14 दिनांक 15.01.2013।

इसको आर.टी.आई. के अधिकार के अनुसार आपसे हमें यही निवेदन है कि आपको मैंने शिकायत कराई और एफ. आई.आर. नम्बर 169 दिनांक 09.10.2012 को कोर्ट द्वारिका कोर्ट में मेरा केस दर्ज हुआ था जो कि मैं पिछले शिकायतों की जितने फोटो कापी थी मैं आपको 19.11.2012 को मैं शिकायत कापी दे रखे है। इस केस पर क्या–क्या कार्यवाही हुई आर.टी.आई के अधिकार के अनुसार आप रिर्पोट देने की कृपा करें।

आप से हमें यही विनम्र प्रार्थना है कि आप उपरोक्त मामले – कन्डेक्टर एवं ड्राईवर का मिली जुली भगत के चलते बस से चोरी हुआ है। अतः आपसे यही प्रार्थना है कि आप

सही—सही कन्डेक्टर एवं ड्राईवर को जांच कर कार्यवाही करने की कृपा प्रदान करें। आप तीनों दिन का पहुंचने की तिथि का जवाब देने की कृपा करें। जो कि मैं द्वारिका कोर्ट में पेश कर उपरोक्त को पकडवाने का एवं सारे शिकायत को पेश कर सकूं।

उक्त सूचना के सम्बन्ध में आपके हक में 10 रूपये का पोस्टल आर्डर संख्या : .... प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

आपका विश्वासी प्रार्थी

दिनांक
23-4-2013

Kanhaiya sah

डा0 कन्हैया साह पुत्र
श्री राजगृही साह
श्री हनुमान होम्योपैथिक क्लिनिक,
मकान नं0 1376
डुण्डाहेडा पोस्ट — डुण्डाहेडा,
थाना — उद्योग विहार, जिला गुड़गांव,
हरियाणा — 122016
मो. 9891847780